भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 932

(जिसका उत्तर सोमवार, 2 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का प्रवाह

932. सुश्री एस. जोतिमणि:
एडवोकेट अदूर प्रकाश:
श्री राजेश रंजन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान निवल एफडीआई प्रवाह का देश-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एफडीआई प्रवाह पर नए कर नियमों के प्रभाव का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा निवेश माहौल को और अधिक अनुकूल बनाने के लिए स्टार्टअप्स और विदेशी निवेशकों के लिए कर अनुपालन को और सरल बनाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): विगत पांच वर्षों के दौरान निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अन्तर्वाह का ब्यौरा नीचे तालिका में प्रस्तुत है, तथापि, देश-वार और क्षेत्र-वार निवल एफडीआई अन्तर्वाह से संबंधित आकड़ें नहीं रखे जाते हैं।

वर्ष	**निवल एफडीआई (बिलियन अमेरिकी डॉलर)**
2019-20	43.0
2020-21	44.0
2021-22	38.6
2022-23	28.0
2023-24	10.1

स्रोतः भारतीय रिज़र्व बैंक

(ख) से (घ): किसी देश में एफडीआई अन्तर्वाह अन्य कारकों के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, बृहद-आर्थिक स्थिरता, विदेशी निवेशकों के निवेश संबंधी निर्णय, वैश्विक निवेश

वातावरण, केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरें और कर विनियमों जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। एफडीआई को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने निवेशक अनुकूल नीति बनाई है, जहां कुछ कार्यनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छोड़कर, कई क्षेत्र आटोमेटिक मार्ग के अन्तर्गत 100 प्रतिशत एफडीआई के लिए खुले हैं। इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप्स और विदेशी निवेशकों हेतु कर अनुपालन को सरल बनाने और किसी विदेशी कंपनी की भारत प्रभार्य आयकर दर को कम करने के लिए, आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया है।

*****